इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 416] भोपाल, सोमवार, दिनांक 12 अक्टूबर 2015—आश्विन 20, शक 1937

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 अक्टूबर 2015

डॉ. हरिसिंह गौर स्मृति पुरस्कार नियम

क्र. एफ-23-9-2015-अड़तीस-2.—डॉ. हरिसिंह गौर के नाम पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने हेतु निम्नानुसार प्रावधान, प्रक्रिया एवं नियम निर्धारित किये जाते हैं:—

1. **संक्षिप्त नाम, उद्देश्य.**—इन नियमों का संक्षिप्त नाम ''डॉ. हरिसिंह गौर स्मृति पुरस्कार नियम, 2015 होगा. ये नियम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं योगदान को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कार्यरत कुलपति को पुरस्कार प्रदान करने के संदर्भ में है तथा इनका उद्देश्य विश्वविद्यालयों में कार्यरत् कुलपतियों में से चयनित कुलपति को पुरस्कार प्रदान करने का है.

2. **विस्तार तथा प्रारंभ.**—इन नियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित समस्त विश्वविद्यालयों में होगा. ये नियम शासन द्वारा आदेश प्रसारित किये जाने के दिनांक से प्रभावशील होंगे.

3. **परिभाषाएँ.**—

(i) कुलपति—कुलपति इन नियमों में कुलपति से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश की विधानसभा के तहत पारित अधिनियमों से उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों के कुलपति.

(ii) ''पुरस्कार वर्ष'' पुरस्कार-वर्ष से तात्पर्य है, जिस वर्ष में विज्ञापन जारी किया जाए

(iii) ''परीक्षण समिति'' परीक्षण समिति से तात्पर्य है, नियमों की कंडिका 7.6 में वर्णित समिति

(iv) ''चयन समिति'' चयन समिति से तात्पर्य है, नियमों की कंडिका-8 में वर्णित समिति

(v) ''निर्णायक मंडल'' निर्णायक मंडल से तात्पर्य है, नियमों की कंडिका-9 में वर्णित समिति

4. **पुरस्कार का स्वरूप.**— नियमों में तय किये किये गये मापदण्डों के आधार पर राज्य स्तर पर प्रत्येक वर्ष में एक कुलपति का चयन इस पुरस्कार के लिए किया जाएगा तथा इन्हें नगद पुरस्कार राशि रुपये 1.00 लाख (रुपये एक लाख मात्र) एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा.

नोट.—पुरस्कृत कुलपति आगामी वर्षों के लिये भी नियमानुसार पुनः आवेदन कर सकते हैं

5. **चयन हेतु मापदण्ड.**—कुलपति अभ्यर्थियों का चयन पुरस्कार वर्ष के ठीक पूर्व के अकादमिक-सत्र (अर्थात 01 जुलाई से 30 जून) में किए गए कार्य/कार्यों के लिए दिया जाएगा, जो निम्न बिन्दुओं की जानकारियों/उपलब्धियों पर आधारित होगा—

5.1 नियमित परीक्षाओं के आयोजन एवं समय पर परिणाम घोषित करना

5.2 समस्त कक्षाओं में समय-सीमा में प्रवेश कार्य पूर्ण करना

5.3 प्रबंधन तथा शिक्षण में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग

5.4 विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों को दी जाने वाली सम्बद्धता एवं निजी महाविद्यालयों में कालेज कोड-28 के तहत नियुक्ति की स्थिति.

5.5 विद्यार्थियों हेतु प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ, छात्रवृत्ति एवं अन्य आर्थिक सहायता की स्थिति

5.6 कार्यों में पारदर्शिता के प्रयास

5.7 विश्वविद्यालय में शोध कार्यों की स्थिति एवं शोध जनरल का प्रकाशन

5.8 रैगिंग के संदर्भ में जीरो टोरलेंस की स्थिति

5.9 नैक द्वारा प्रमाणीकरण

5.10 लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत सेवाओं की स्थिति

5.11 विश्वविद्यालय के विकास में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों का सहयोग

5.12 राष्ट्रीय सेवा योजना एवं युवा उत्सव के तहत कार्य

5.13 विश्वविद्यालय में कार्यरत् शिक्षकों की महत्वपूर्ण उपलब्धियॉ

5.14 विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों के नियमित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की महत्वपूर्ण उपलब्धियॉ

5.15 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के अंतर्गत समस्याओं/आवेदनों का निराकरण

5.16 विश्वविद्यालयों में किये गये नवाचार तथा उसके परिणाम

5.17 कुलपति अभ्यर्थी की अन्तर्राष्ट्रीय सेमीनार में क्रियाशील सहभागिता

5.18 कुलपति अभ्यर्थी द्वारा प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशकों के साथ पुस्तक का लेखन

5.19 विश्वविद्यालय में नवाचार के अन्तर्गत अकादमिक विकास के लिए किए गए कार्य

5.20 विश्वविद्यालयों में वित्तीय प्रबंधन

5.21 पर्यावरण/जल संरक्षण/परिसर विकास एवं उद्देश्यपूर्ण सौंदर्यीकरण के प्रयास

5.22 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अन्य सहायक एजेंसियों से प्राप्त अनुदान का उपयोग

5.23 विद्यार्थियों के कौशल विकास के लिये किए गए कार्य

5.24 राष्ट्रीय महत्व एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित शैक्षणिक एवं शोध संस्थाओं से सहभागिता

5.25 कार्यपरिषद/अकादमिक परिषद/विभिन्न विषयों के शोध उपाधि परिषद एवं अध्ययन मंडल आदि की बैठकों की समय-सीमा में आयोजन.

5.27 अन्य मापदण्ड जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित किये जाएँ एवं संबंधित वर्ष के विज्ञापन में प्रकाशित किए जाएँ

6. **निरर्हता.**—जिन अभ्यर्थियों के विरुद्ध विभागीय जांच/दण्ड/गंभीर कदाचरण/गंभीर शिकायत प्रचलित है या पूर्व में दंडित हैं, वे अर्ह नहीं होंगे. इस संबंध में चयन समिति का निर्णय मान्य होगा.

7. **आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन पर विचार तथा परीक्षण.—**

7.1 पुरस्कार के लिये आवेदन प्राप्त करने हेतु प्रतिवर्ष जुलाई माह में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा एक विज्ञापन प्रदेश स्तर के दो प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा, जिसको ईमेल द्वारा कुलपतियों को भेजा जाएगा एवं उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा.

7.2 आवेदन प्रस्तुत करने के लिये विज्ञापन की तारीख से 60 दिवस का समय दिया जाएगा

7.3 विज्ञापन में विहित अंतिम तारीख तक विहित प्रारूप में समस्त संबंधित स्वप्रमाणित संलग्नकों के साथ आवेदन उच्च शिक्षा विभाग को प्रेषित किए जाएंगे.

7.4 विज्ञापन में दी गई समय-सीमा के भीतर प्राप्त होने वाले आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा. इस संबंध में किसी प्रकार के विलम्ब जैसे-डाक व्यवस्था आदि के कारण होने वाले विलम्ब को मान्य नहीं किया जाएगा. अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण आवेदन विचार योग्य नहीं माने जाएंगे.

7.5 विज्ञापन में दी गई समय-सीमा के भीतर प्राप्त होने वाले आवेदनों को उच्च शिक्षा विभाग में इस प्रयोजन के लिये रखे जाने वाले रजिस्टर में क्रमावार प्रत्येक पुरस्कार वर्ष के लिये पृथक-पृथक पृष्ठ पर दर्ज किया जाएगा. यह कार्य विहित अंतिम तिथि से 15 दिवस के अंदर पूर्ण किया जाएगा. रजिस्टर में पंजीयन क्रमांक, आवेदक का नाम व पदनाम, कार्यालय का पता तथा दूरभाष क्रमांक, प्राप्त आवेदन में कुल पृष्ठों की संख्या, अन्य विवरण आदि के कॉलम रखे जाएंगे.

7.6 **परीक्षण समिति का गठन तथा कार्य.**—आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा एक त्रिस्तरीय परीक्षण समिति का गठन संबंधित पुरस्कार-वर्ष के लिए किया जायेगा, जिसका संयोजक राजधानी भोपाल स्थित किसी शासकीय महाविद्यालय का स्नातकोत्तर प्राचार्य या भोपाल क्षेत्रीय संभाग का अतिरिक्त संचालक होगा. अन्य दो सदस्य का नामांकन भी आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा किया जाएगा. परीक्षण समिति कंडिका 7.5 में विहित प्रावधानों के अनुसार रजिस्टर में प्राप्त आवेदनों की प्रविष्टि करेगी तथा प्राप्त आवेदनों का संलग्नकों सहित सूक्ष्म परीक्षण करते हुए प्रविष्टिगत कमियों, विसंगतियों, त्रुटियों आदि (यदि कोई हो) का उल्लेख करते हुए विवरण तैयार करेगी एवं आयुक्त, उच्च शिक्षा को सम्पूर्ण वस्तुस्थिति से अवगत कराएगी. आयुक्त, उच्च शिक्षा से प्राप्त निर्देशानुसार सही पाये गये आवेदनों की अंतिम सूची समिति तैयार करेगी और चयन समिति के सक्षम प्रस्तुत करेगी.

8. **चयन समिति का गठन, बैठक का कोरम एवं कार्य.**—एक पांच सदस्यीय चयन समिति का गठन प्रत्येक पुरस्कार वर्ष के लिये शासन द्वारा किया जाएगा. समिति के अध्यक्ष प्रदेश के बाहर स्थित किसी केन्द्रीय विश्वविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालय के कुलपति होंगे. अन्य चार सदस्य, जो राष्ट्रीय संस्थानों (जैसे आई.आई.टी., आई.आई.एम. आदि) के वर्तमान निदेशक या राज्य के बाहर के विश्वविद्यालयों

के कुलपति हो, को राज्य शासन द्वारा नामांकित किया जाएगा. बैठक का कोरम अध्यक्ष सहित तीन सदस्यों का होगा. चयन समिति अपनी कार्यप्रणाली, चयन की प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगी. चयन समिति पुरस्कार योग्य अधिकतम 05 कुलपतियों का चयन कर आयुक्त, उच्च शिक्षा को सीलबंद लिफाफे में प्रतिवेदन तथा अनुशंसा सौंपेगी.

9. **निर्णायक मंडल, बैठक का कोरम तथा कार्य.**—निर्णायक मंडल निम्नानुसार होगा:—

1. मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग—अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग—सदस्य
3. माननीय राज्यपाल के सचिव—सदस्य
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा—सदस्य
5. उपसचिव—II उच्च शिक्षा—समन्वयक

समिति की बैठक प्रत्येक वर्ष में अक्टूबर माह में आयोजित की जाएगी जिसमें चयन समिति से प्राप्त अनुशंसित प्रस्तावों पर विचार कर पुरस्कार हेतु चयन किया जाएगा. बैठक का कोरम अध्यक्ष सहित तीन सदस्यों का होगा.

9.1 निर्णायक मंडल अपनी कार्य पद्धति, चयन की प्रक्रिया एवं चयन के मापदण्ड स्वयं तक करेगा तथा इसके द्वारा किया गया चयन अंतिम होगा.

9.2 पुरस्कार के संबंध में कोई अपील/अभ्यावेदन तथा प्रक्रिया से हटकर प्राप्त होने वाली अनुशंसा स्वीकार योग्य नहीं होगी

9.3 सामान्यत: पुरस्कार के लिये एक कुलपति का चयन किया जाएगा किन्तु, निर्णायक मंडल यदि आवश्यक समझेगा तो एक पुरस्कार के लिये दो कुलपतियों का चयन भी कर सकेगा तथा ऐसी स्थिति में उन्हें पुरस्कार की राशि संयुक्त रूप से प्रदान की जाएगी.

9.4 निर्णायक मंडल की सम्पूर्ण कार्यवाही गोपनीय रहेगी.

9.5 यदि पुरस्कार हेतु उपयुक्त चयन नहीं होता है, तो उस वर्ष का पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाएगा, और न ही पुरस्कार आगामी वर्ष के लिए अग्रणीत होगा. यह स्थिति तभी मान्य होगी जब कोई भी पात्र कुलपति उपलब्ध नहीं होगा.

10. **पुरस्कारों की घोषणा तथा वितरण.**—निर्णायक मंडल द्वारा जिन कुलपति(यों) को पुरस्कार हेतु चयनित किया जायेगा, उनके नाम की घोषणा आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा निर्णायक मंडल की बैठक की तिथि के 15 दिवस के अंदर की जाएगी. इसकी सूचना रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा संबंधित कुलपति (यों) के पते पर दी जाएगी एवं उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर इसे प्रकाशित किया जाएगा.

पुरस्कार की स्वीकृति के उपरांत स्वीकृत पुरस्कार राशि आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा कोषालय से आहरित की जाकर चैक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को प्रदान की जाएगी.

11. **अंलकरण समारोह.**—यह पुरस्कार प्रतिवर्ष राजधानी भोपाल में आयोजित किसी समारोह में मंत्री, उच्च शिक्षा द्वारा निर्धारित किसी तिथि पर दिया जाएगा. इस हेतु पृथक से कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा.

12. **नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन.**—इन नियमों में अन्तर्निहित प्रावधानों के संबंध में प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग की व्याख्या अंतिम मानी जाएगी. ऐसे मामले जिनका नियमों में उल्लेख नहीं है, के संबंध में भी निर्णय लेने का अधिकार प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग को निहित रहेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ललित दाहिमा, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.